यालय उपखण्ड अधिकारी,नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

-पत्र संख्या :–110/2022

MS NO:- 2022/201

दायर दिनांक– 16.6.2022

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती प्रीति मीणा

1. उत्सवलाल आ0 ग्यारसा जाति रैगर नि0 55 अम्बेडकर नगर महावीर नगर कोटा।
2. पार्वती बाई पत्नी ग्यारसा जाति रैगर नि0 55 अम्बेडकर नगर महावीर नगर कोटा।
3. संजय कुमार आ0 ग्यारसा जाति रैगर नि0 55 अम्बेडकर नगर महावीर नगर कोटा।

प्रार्थीगण

बनाम

राज0सरकार जर्ये तहसीलदार साहब नैनवॉ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्रः– अंतर्गत धारा 128, 111 एल आर एक्ट

उपस्थितिः–
प्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री रामबाबू शर्मा।

निर्णय दिनांक 20.05.2025

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम आंतरदा मे खसरा नम्बर 1583/3 रकबा 1.9416 हैक्टयर भूमि स्थित है ज़ो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि पर दिनांक 25.5.2022 को आस पास के व्यक्ति भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद पैदा करने लगे। यही वाद का कारण है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी, पेश कर धारा 128, 111 एलआर एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश पत्थरगढी करवाये जाने का निवेदन किया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र व तहसीलदार नैनवॉ के यहां धारा 183बी के तहत् लगाये गए आवेदन मे तहसीलदार नैनवॉ के निर्णय दिनांक 21.8.2024 की पालना मे राजस्व टीम द्वारा मौके पर प्रार्थीगण को संभलवाये गए कब्जा का मौका पर्चा की प्रति पेश की।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों तथा आज दिनांक 20.5.2025 को प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा पेश किये गए दस्तावेजों के अवलोकन से पाया कि प्रार्थीगण को पूर्व मे मौके पर कब्जा संभलवा दिया गया थात था प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान का आवेदन भी किया हुआ है तथा इस प्रार्थना पत्र को चलते लगभग 3 वर्ष का समय हो चुका है जबकि यह एक समरी ट्रायल प्रार्थना पत्र है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नैनवॉ को इस आशय के साथ आदेशित किया जाता हैं कि ग्राम आंतरदा मे खसरा नम्बर 1583/3 रकबा 1.9416 हैक्टयर भूमि पर प्रार्थीगण का यदि संपूर्ण हिस्से पर कब्जा पाया जाता है तो नायब तहसीलदार अथवा भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के अधिकारी की टीम गठित कर व आवश्यक हो तो पुलिस इमदाद प्राप्त कर नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा कराने पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 20.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैंनवॉं